बिहार सरकार
अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0संख्या–3/क0निग0–40–43/2012– 5561 पटना, दिनांक–19/11/15

कार्यालय आदेश

श्री शिवदानी चौधरी, लिपिक–सह–प्रभारी प्रधान लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, नवादा के विरूद्ध राज्य स्तर पर गठित जांच दल से प्राप्त जांच प्रतिवेदन तथा सरकारी कार्यावधि में अमर्यादित कार्यकलाप एवं सरकारी कर्मचारी के विरूद्ध आचारण एवं अनुशासनहीनता का द्योतक है, के आलोक में श्री चौधरी गंभीर रूप से दोषी पाये जाने के फलस्वरूप श्री चौधरी को एतद द्वारा तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

1– निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय जिला कल्याण कार्यालय, लखीसराय निर्धारित किया जाता है।

2– निलंबन अवधि में श्री शिवदानी चौधरी, लिपिक–सह–प्रधान लिपिक को जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

3– प्रस्ताव में विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त होगा।

ह0/19/XI/15

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3/क0निग0–40–43/2012– 5561 **पटना, दिनांक**...19/11/15

प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, नवादा/उपनिदेशक, कल्याण, मगध प्रमण्डल, गया/उपनिदेशक, कल्याण, मुगेंर मण्डल, मुगेंर/जिला कल्याण पदाधिकारी, नवादा/लखीसराय/श्री शिवदानी चौधरी, लिपिक–सह–प्रधान लिपिक, जिला कल्याण कार्यालय, नवादा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/19/XI/15

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक–3/क0निग0–40–43/2012– 5561 **पटना, दिनांक**....19/11/15

प्रतिलिपि–आई0टी0मैनेजर, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त आदेश पत्र को ई–मेल पर अविलम्ब भेजें तथा विभागीय बेबसाईट पर अपलोड करें।

ह0/19/XI/15

सरकार के विशेष सचिव।